संख्या- 7/22/2008-संस्था-III(क)
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
संस्था-III(क) शाखा

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- **वर्ष 2009-2010 के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) देने संबंधी आदेशों को स्वायत्त निकायों के लिए भी लागू करना ।**

इस मंत्रालय के 22 सितम्बर, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/24/2007-संस्था-III(क) द्वारा केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को, जो उत्पादकता से संबद्ध बोनस (पी.एल.बी.) स्कीम के अंतर्गत नहीं आते, लेखा वर्ष 2009-2010 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियां उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के रूप में प्राधिकृत करने के आदेश जारी किए गए हैं । अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अब यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त आदेशों में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अधीन यथास्वीकार्य उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) ऐसे स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को भी दिया जाए जिनका निधियन अंशत: अथवा पूर्णत: केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है और जो (i) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान परिलब्धियों की पद्धति का अनुसरण करते हैं और (ii) जहां कोई अन्य बोनस या अनुग्रह राशि या प्रोत्साहन स्कीम प्रचालन में नहीं है ।

2. इन आदेशों के प्रचालन के संबंध में यदि कोई संदेह हो तो इस मंत्रालय के समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 04.10.1988 के का.ज्ञा.सं.14(10)/संस्था समन्वय/88 द्वारा परिचालित स्पष्टीकरण आदेशों को आवश्यक परिवर्तनों सहित ध्यान में रखा जाए ।

3. विभिन्न संगठनों के संबंध में उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के कारण दायित्व की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा धनराशि प्रदान किए जाने के किसी भी अनुरोध पर संबंधित मंत्रालयों द्वारा 22 सितम्बर, 2010 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में दी गई इस शर्त को ध्यान में रखते हुए विचार नहीं किया जाएगा कि उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) पर होने वाले व्यय की पूर्ति संबंधित संगठनों के मौजूदा बजटीय प्रावधानों से ही की जानी चाहिए । हालांकि, ऐसे स्वायत्त निकायों को केन्द्र सरकार द्वारा धन नहीं दिया जाता है, फिर भी वे अपने कर्मचारियों के संबंध में भी इन आदेशों को लागू कर सकते हैं तथा इसके लिए वित्त-पोषण का कोई भी दायित्व किसी भी स्थिति में केन्द्र सरकार पर नहीं होगा ।

रेनु जैन
(रेनु जैन)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार) ।

चन्दन/my document/E.III(A)/14